संख्याः 17M(4)/35–आ0–1/2009–12 टी.सी.I

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राज्य योजना आयोग–1, नियोजन विभाग
योजना भवन।

लखनऊः दिनाँकः फरवरी:04, 2015

विषयः आधार नामांकन और जनसाँख्यिकीय व बायोमैट्रिक डाटा संग्रह एवं सम्बन्धित अतिरिक्त सेवायें प्रदान किये जाने के लिए चयन हेतु नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0 में पंजीकृत एजेंसियों को टेण्डर फीस तथा ई0एम0डी0 में छूट की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में कतिपय मण्डलों द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर मार्गदर्शन मांगा गया है। प्रकरण पर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त परामर्श के अनुसार राज्य सरकार की नीति में नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0 में पंजीकृत एजेंसियों को प्रोक्योरमेन्ट आफ सर्विसेज़ के सम्बन्ध में टेण्डर फीस तथा ई0एम0डी0 में छूट दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः आधार नामांकन और जनसाँख्यिकीय व बायोमैट्रिक डाटा संग्रह एवं सम्बन्धित अतिरिक्त सेवायें प्रदान किये जाने के लिए चयन हेतु टेण्डर फीस तथा ई0एम0डी0 में छूट दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव